

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-19/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री रूपनारायण मुतबन्ना सोहनदास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

- 1-अली मोहम्मद पिता कमालुद्दीन छीपा (मुसलमान), उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री नंदराम दास पिता दौलतदास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्री दौलतदास पिता कुशालदास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-श्री ब्रदीदास पिता मथरादास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-श्री रामलाल पिता मथरादास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 6-श्री रामेश्वर दास पिता मथरादास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 7-श्री सत्यनारायण पिता रामनिवास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 8-श्री रामगोपाल पिता रामनिवास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 9-श्री ओमप्रकाश पिता सीताराम बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 10-श्री पुष्कर पिता सीताराम बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 11-आशा पुत्री सीताराम बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 12-श्रीमति मिट्ठू देवी पत्नि सीताराम बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 13-श्रीमति जानी बेवा रामनिवास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 14-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1
13 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.
2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

कि और डिकी की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में आपसी राजीनामा अनुसार वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 2156, 2158 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 को नाम विलोपित किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.

उपस्थित अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.6.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।

उपस्थित अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा